①

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I N D E X

IN

RESPONSE AFFIDAVIT

(On behalf of Respondent No. 7 i.e. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand)

IN

O.A. No. 238 OF 2024

News item titled "UP gives permission to fell 112000 tree for road along Upper Ganga Canal" appearing in Hindustan Times dated 01.02.2024

Versus

Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttar Pradesh & Ors.

…………..Respondents

S. No.	Particulars	P. Nos.
1.	Index	1
2.	Response Affidavit	2 – 6
3.	**ANNEXURE-1** True/photocopy of the report dated 16.05.2024, furnished by the Divisional Forest Officer.	7 - 25
4.	**ANNEXURE-2** True/photocopy of the letter dated 06.07.2024	26

Dated: 7/07/2024

Advocate on Record
Government of Uttarakhand

BEF ORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

RESPONSE AFFIDAVIT

(On behalf of Respondent No. 7 i.e. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand)

IN

O.A. No. 238 OF 2024

News item titled "UP gives permission to fell 112000 tree for road along Upper Ganga Canal" appearing in Hindustan Times dated 01.02.2024

Versus

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttar Pradesh & Ors.
2. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office, Lucknow through the Regional Officer.
3. District Magistrate, Ghaziabad.
4. District Magistrate, Meerut.
5. District Magistrate, Muzaffarnagar.
6. Principal Secretary, Public Works Department, State of UP.
7. Principal Chief Conservator of Forest, Uttarakhand.
8. Principal Secretary, Department of Environment and Forest, Uttarakhand.
9. Principal Secretary, Public Works Department, State of Uttarakhand.

.............Respondents

Affidavit of Dr. Dhananjai Mohan (Male), aged about 59 years, S/o Sh. S. S. Rajput, presently posted as Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.

(Deponent)

3

I, the above named deponent, do hereby solemnly affirm and state on as of:

1. That the deponent is presently posted as Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand, Dehradun. This Hon'ble Tribunal vide its Order dated 13.03.2024, had impleaded the deponent as respondent No.7 in the above noted application, as such he is fully conversant with the facts of the case.

2. That the deponent had received the notice, issued by this Hon'ble Tribunal in the above captioned matter along with the copy of the original application.

3. That as soon the deponent received the notice, issued by this Hon'ble Tribunal, the deponent had directed the Divisional Forest Officer, Haridwar Forest Division to look into the matter, take necessary action and furnish the report.

4. That pursuant to the directions, issued by the deponent, the Divisional Forest Officer, Haridwar Forest Division had furnished his detailed report on the subject matter of the present O.A. which includes the following main facts:

   i. *Executive Engineer, Irrigation Division, Roorkee vide his letter dated 10.08.2019 in view of organizing Kumbh Mela-2021 from Jatwara Bridge in Haridwar district to Mohammadpur Power House (to the border of Uttarakhand State), in order to approved plan for widening and strengthening of Ganga Canal Kanvad track, had written for the cutting of trees planted by the department at some places along the canal track from Ganga Canal Kanvad track Jatwada bridge (Jwalapur) to Uttarakhand border.*

   ii. *On the basis of the report furnished by the Forest Range Officer, the Divisional Forest Officer vide his letter 21.10.2019, had written to his senior officials for necessary action and directions.*

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

(4)

And his senior official i.e. Conservator of Forest, Shivalik Circle had proposed a meeting with Irrigation Department officials.

iii. On 08.11.2019, under the chairmanship of Conservator of Forest, Shivalik Circle, a meeting was held with the officials regarding the trees coming in the widening of the track road from Jatwada Bridge of Haridwar district to Mohammadpur Power House for Maha Kumbh 2021. In the Minutes of the Meeting, the Conservator of Forests, Shivalik Circle, Uttarakhand, Dehradun sent the approval of a total of 1102 impeding trees to the Divisional Forest Officer Haridwar. In the last paragraph of the minutes, it was directed by the Conservator of Forests, Shivalik Circle, Uttarakhand, Dehradun that subject to the necessary conditions/restrictions which mainly include 'trees which are suitable for transplantation, they must be transplanted by the Irrigation Department at its own expenses with the technical assistance of the Divisional Forest Officer, Haridwar and in place of the remaining fallen trees, twice as many trees should be planted at the expense of the Irrigation Department in the coming rainy season."

iv. In compliance to the directions given by CF, Shivalik Circle, a list of total 923 obstructive trees was sent to the Divisional Logging Manager, Uttarakhand Forest Development Corporation, Haridwar by the Divisional Forest Officer, Haridwar in widening and strengthening of Ganga Canal Kanvad track from the Jatwara bridge to the border of Uttarakhand in Haridwar District. The remaining 179 trees, which were of 0-1 diameter class due to non-availability of wood, were disposed of at the division level. In this way a total of 1102 obstructive trees were felled.

v. In accordance with the letter dated 08.11.2019 issued by the Conservator of Forest, Shivalik Circle, Uttarakhand, Dehradun, The Divisional Forest Officer, Haridwar Forest Division vide his letter dated 05.12.2019 had requested the Executive Engineer, Irrigation Division, Parikalp Bhawan Complex, Roorkee to provide the estimated amount of Rs. 50.38 lakh for the expenditure on planting of 2204 saplings in the coming rainy season in place of total 1102 felled trees to be made available as soon as possible. Thereafter, again, reminders were sent by the Divisional Forest Officer, Haridwar Forest Division through letter number 5069/2-3, dated 04.05.2020, letter number 1558/2-3, dated 07.10.2020

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.13(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

and letter number 4958/2-3, dated 09.03.2021. In continuation of the above, the District Magistrate, Haridwar was also requested to take action in this regard, but till date the desired amount has not been made provided to the Divisional Forest Officer by the Irrigation Department.

Copy of the detailed report dated 16.05.2024 furnished by the Divisional Forest Officer, Haridwar Forest Division is being annexed and marked as **ANNEXURE-1.**

5. That after the course of hearing on 31.05.2024, this Hon'ble Tribunal vide its Order dated 31.05.2024, had passed a direction in para 2 i.e. '*On the perusal of the report filed by the PWD, State of Uttarakhand, it is not clear if in the State of Uttarakhand also, any stretch of the road will be constructed to connect with Haridwar. Learned Counsel for State of Uttarakhand is directed to file a fresh affidavit of the competent authority disclosing the above position in clear terms*'. It is submitted here that the Divisional Forest Officer, Haridwar Forest Division, vide his letter dated 06.07.2024 addressed to the deponent, had clarified the certain points stating therein that 'There is no new proposal in Ganga Kanvad Patri Marg under his division. Further, it states the at that time the widening work on the said Marg was carried out on the left side of the *Neher Patri*, while facing to Delhi and no new construction or tree felling has been carried out by the division for the said Marg. Copy of the letter dated 06.07.2024 is being annexed and marked herewith as **ANNEXURE-2.**

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun Distt. Reg. No. 19(91)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

6. That the deponent is a responsible government servant having highest regards for the Hon'ble Law Court's and orders passed by them. The deponent cannot even imagine to flout or to disobey the orders passed by this Hon'ble Tribunal. He has always made his sincerest efforts to

(6)

carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and also shall carry out in future as well.

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of Para nos. 1-3, 6 of this affidavit are true to my personal knowledge, those of Para nos. 4 & 5 of this affidavit are based on records, those of Para nos. — of this affidavit are as per the legal advice received and those of Para nos. — of this affidavit are as per the information received which all I believe to be true. That no part of this affidavit is false and nothing material has been concealed.

So help me God **DEPONENT**

I, Avnish Gupta, Legal Assistant, Forest Department, Uttarakhand, Dehradun, do hereby identify the deponent who has produced the records of the case and his Aadhar card bearing No. 497746818191 before me and I am satisfied that he is the same person as alleged.

IDENTIFIER

Solemnly affirmed before me today, the 7th day of July, 2024 at 6:00 am/pm by the deponent who has been identified by the aforesaid person.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

OATH COMMISSIONER/NOTARY

S.No. 3584/2024

This affidavit is sworn before me by Shri Dhananjai A. Mohan.
who is identified by Shri Avnish Gupta
at Dehradun on 7/7/24

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

7

कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष/फैक्स 01334 226271 email :dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्रांक 6220/2–3, हरिद्वार, दिनांक, 16-5-2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
पर्यावरण, उत्तराखण्ड,
देहरादून

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–238/2024 (अपर गंगा कैनाल क्षेत्र में 112000 वृक्षों के पातन) के सम्बन्ध में।

संदर्भ : वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2357/29–3, दि0 26.04.24 एवं आपका पत्रांक 238/29–5, दिनांक 23.04.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन संख्या 238/2024(अपर गंगा कैनाल क्षेत्र में 112000 वृक्षों के पातन) के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2024 के क्रम में प्रकरण पर आख्या निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

- अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, रूड़की द्वारा अपने पत्रांक 1056/सि0ख0रू0/कुम्भ मेला–2021 दिनांक 10.08.2019 **(छायाप्रति संलग्न–1)** से कुम्भ मेला–2021 के आयोजन की दृष्टि से जनपद हरिद्वार में जटवाड़ा पुल से मौहम्मदपुर पॉवर हाऊस (उत्तराखण्ड राज्य सीमा तक) गंग नहर कावड़ पटरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण की योजना की स्वीकृति के क्रम में गंग नहर कावड़ पटरी जटवाड़ा पुल (ज्वालापुर) से उत्तराखण्ड सीमा तक नहर पटरी के किनारे कुछ जगहों पर विभाग द्वारा लगाये गये पेड़ों के कटान हेतु लिखा गया था, के क्रम में इस कार्यालय के मूल पत्रांक 797/2–3, दिनांक 21.08.2019 से वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार एवं रूड़की को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया।

  इस कार्यालय का पत्रांक 1443/1–1, दिनांक 24.09.2019 **(छायाप्रति संलग्न–2)** से अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, परिकल्प भवन परिसर रूड़की को लिखा गया कि प्रस्तावित मार्ग में बांधित पेड़ों की सूची इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि इस स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। अधिशासी अभियन्ता, सिचांई खण्ड, रूड़की द्वारा अपने पत्रांक 1327/सि0ख0रू0, दिनांक 01.10.2019 **(छायाप्रति संलग्न–3)** से पातित होने वाले क्षेत्र का चिन्हीकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- पातित होने वाले वृक्षों की चिन्हीकरण रिपोर्ट वन क्षेत्राधिकारी, रूड़की एवं हरिद्वार को जांच हेतु प्रेषित की गई। वन क्षेत्राधिकारी, रूड़की द्वारा अपने मूल पत्रांक 236/8–1, दिनांक 15.01.2019 **(छायाप्रति संलग्न–4 एवं 5)** एवं वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार में अपने पत्रांक 338/2–3, दिनांक 18.10.2019 से रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की गई।
- उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक 1805/2–3, दिनांक 21.10.2019 **(छायाप्रति संलग्न–6)** से वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, महोदय को जटवाड़ा पुल से मौहम्मदपुर पॉवर हाऊस (उत्तराखण्ड राज्य सीमा तक) गंग नहर कावड़ पटरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में आने वाले बाधक वृक्षों की संयुक्त जांच सिंचाई विभाग के समन्वय से सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारियों द्वारा कराई जाने के उपरान्त बाधक वृक्षों का मिश्रित विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया, के क्रम में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 743/26–1, दिनांक 31.10.2019 **(छायाप्रति संलग्न–7)** से सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ दिनांक 02.11.2019 को बैठक आयोजित किये जाने हेतु लिखा गया।
- दिनांक 08.11.2019 को वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त महोदय की अध्यक्षता में महा कुम्भ 2021 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के जटवाडा पुल से मौहम्मदपुर पॉवर हाऊस गंग नहर पटरी मार्ग चौड़ीकरण में आ रहे वृक्षों के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की गई।

(8)

बैठक का कार्यवृत्त वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 808/26-11, दिनांक 08.11.2019 **(छायाप्रति संलग्न-8)** से कुल 1102 बाधित वृक्षों का अनुमोदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। कार्यवृत्त के अन्तिम पैरा में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्देशित किया गया कि आवश्यक शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन जिसमें मुख्यतः "जो वृक्ष प्रत्यारोपण योग्य हो, उसे सिंचाई विभाग द्वारा स्वंय के व्यय पर प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार की तकनीकि सहायता से प्रत्यरोपण की कार्यवाही की जाये एवं शेष पातित वृक्षों के बदले दो गुने वृक्षों का रोपण आगामी वर्षाकाल में सिंचाई विभाग के व्यय पर कर लिया जाये" प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार को तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

- उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 2357, 2358/2-3, दिनांक 28.11.2019 से **(छायाप्रति संलग्न-9 एवं 10)** कुल 923 वृक्ष प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हरिद्वार को हरिद्वार जनपद के जटवाड़ा पुल से उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक गंग नहर कावड़ पटरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने हेतु बाधक वृक्षों के पातन हेतु लौट बनाकर छपान सूची प्रेषित की गई। शेष 179 वृक्ष, जो 0-1 व्यास-वर्ग के होने से प्रकाष्ठ की अनुपलब्धता होने के कारण उनका निस्तारण विभागीय स्तर पर ही किया गया। इस प्रकार कुल 1102 बाधित वृक्षों का पातन किया गया।
- इस कार्यालय के पत्रांक 2531/2-3, दिनांक 05.12.2019 **(छायाप्रति संलग्न-11)** से अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, परिकल्प भवन परिसर, रूड़की को वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा पत्रांक 808/26-11 दिनांक 08.11.2019 से दिये गये निर्देशों के क्रम में कुल 1102 बाधक वृक्षों के स्थान पर 2204 पौधों का आगामी वर्षाकाल में रोपण किये जाने हेतु 2204 पौधों के रोपण पर होने वाला व्यय अनुमानित धनराशि रू0 50.38 लाख को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेंतु लिखा गया। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 5009/2-3, दिनांक 04.05.2020, पत्रांक 1558/2-3, दिनांक 07.10.2020 एवं पत्रांक 4958/2-3, दिनांक 09.03.2021 के द्वारा भी वांछित धनराशि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी, हरिद्वार को भी उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया, किन्तु वर्तमान तक भी सिंचाई विभाग द्वारा वांछित धनराशि प्रभाग को उपलब्ध नही कराई गई है।

अतः उपरोक्तानुसार रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(वैभव कुमार सिंह)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

पत्रांक 6220/(1) तद्दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड़ देहरादून को उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(वैभव कुमार सिंह)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

Mayoori /revenue

संलग्न-1

(9)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूडकी-247667
(फोन नं0-01332-297698, ई मेल-eeldroorkee@gmail.com)

पत्रांकः- 1056/सि0ख0रू0/कुम्भ मेला-2021, दिनांकः- 10/08/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग हरिद्वार
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

विषयः- गंग नहर कॉवड पटरी मार्ग के चौडीकरण में आने वाले पेडों के सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुम्भ मेला-2021 के आयोजन की दृष्टि में जनपद हरिद्वार में जटवाड़ा पुल से मौहम्मदपुर पॉवर हाउस (उत्तराखण्ड राज्य सीमा तक) गंग नहर कॉवड पटरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण की योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिस पर कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही गतिमान है। महाकुम्भ मेला-2021 के कार्य समयबद्ध एवं महत्वपूर्ण कार्य है, जिन्हें कुम्भ मेला-2021 से पूर्व निर्धारित समय पर ही पूरा किया जाना राज्य की प्राथमिकता है। इस योजना के अन्तर्गत गंग नहर कॉवड़ पटरी जटवाड़ा पुल (ज्वालापुर) से उत्तराखण्ड सीमा तक कॉवड पटरी का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण प्रस्तावित है। गंग नहर के आस-पास की समस्त भूमि सिंचाई विभाग की है, तथा इसमें कॉवड पटरी मार्ग पूर्व से ही सिंगल लेन में बनी है। इसके किनारे कुछ जगहों पर विभाग द्वारा लगायें गये पेंड पडतें है, जिन्हें चौडीकरण (डबल लेन) में हटाया जाना है आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ उक्त क्षेत्र के वन क्षेत्रिाधिकारी को पेंडों के सत्यापन हेतु निर्देशित करने की कृपा करें, ताकि पेड़ों के कटान आदि पर कार्यवाही समय पर पूर्ण करा ली जायें, और पेडों के कारण कार्य की प्रगति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पडनें पायें।

भवदीय

10/8/19

(ए0एस0 विष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड रूडकी

Received ... 14/8

पत्रांक 797/2-3 हरिद्वार दि० 9-8-2019

पत्रांकः- /सि0ख0रू0/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मेलाधिकारी, हरिद्वार।
2. मुख्य अभियन्ता, स्तर-।।, सिंचाई विभाग हरिद्वार।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल हरिद्वार।
4. वन क्षेत्राधिकारी, रूडकी।
5. सम्बन्धित समस्त सहायक अभियन्ताओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि व्यक्तिगत रूचि लेते हुए सम्पर्क करें।

R.O हरिद्वार/रूड़की

कृपया सम्बन्धित वृक्षों की जाँच कर, जाँच आख्या यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(ए0एस0 विष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड रूडकी

प्रभागीय वनाधिकारी
हरिद्वार वन प्रभाग,

संलग्न - 2

कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष/फैक्स 01334 226271 email : dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्रांक 1443 / 1-1 हरिद्वार, दिनांक, /2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, सिंचाई परिकल्प,
भवन परिसर, रूडकी।

विषय - गंग नहर कावड पटरी मार्ग के चौडीकरण मे आने वाले पेडो के सत्यापन के सम्बन्ध मे।

सदर्भ - आपका पत्रांक 1056 सि0ख0रू0/कुम्भ मेला 2021, दिनाक 10.08.2019

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा आपने अवगत कराया है कि कुम्भ मेला 2021 के आयोजन की दृष्टि से जनपद हरिद्वार में जटवाडापुल से मोहम्मदपुर पावर हाऊस (उत्तराखण्ड राज्य सीमा) तक गंगनहर पटरी मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसे महाकुम्भ मेला 2021 से पूर्व निर्धारित समय पर पूरा किया जाना राज्य की प्राथमिकता है। आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि गंगनहर कावड पटरी पर पूर्व में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया है, जिससे प्रस्तावित मार्ग के सुदृढीकरण एवं चौडीकरण निर्माण कार्य बाधित हो रहा है।

इस सम्बन्ध में इस वन प्रभाग के कार्ययोजना के पैरा सं0 11.8.7.9 के क्रम सं0–4 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "ऐसी वृक्षावली जिन्हें पटरी चौड़ी करने या ऐसे अन्य प्रायोजनों के लिए कटवाना आवश्यक हो और जिनके पातन की मांग सम्बन्धित विभाग द्वारा लिखित रूप से की गई हो की अनुमति संरक्षित वन घोषित कि मामलें मे भारत सरकार द्वारा नियमानुसार दी जायेगी।

अतः आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग में बाधित पेडो की सूची मय अनुरोध पत्र के इस कार्यालय को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि सक्षम अधिकारी के स्तर से सम्बन्धित प्रकरण में स्वीकृति हेतु अनुरोध किया जा सकें ।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग,हरिद्वार

पत्रांक : 1443 / 1-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग,हरिद्वार

पत्रांक : 1443 / 1- तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार एवं रूडकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर वृक्षों की गणना करें एवं सूची तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग,हरिद्वार

D/All local leter

890

संलग्न-3

11

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूड़की
सिचाई परिकल्प भवन परिसर, रूडकी–247667
(फोन नं0–01332–297698, ई–मेल–eeidroorkee@gmail.com

पत्रांकः–1321/सि0ख0रू0/ दिनांक– 01/10/2019

विषयः– गंग नहर कावड़ पटरी मार्ग में चौडीकरण में आने वाले पेड़ों के सत्यापन/मुल्यांकन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रकाश हरिद्वार का पत्रांक 1443/1–1/हरिद्वार/दि0 24.09.2019

वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार/रूड़की

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक के कम में अवगत कराना है कि गंग नहर कांवड़ पटरी मार्ग के चौडीकरण में आने वाले पेड़ों का सत्यापन आपके अधिनस्थ कर्मचारियों एंव इस खण्ड के अभियन्ताओं के साथ सितम्बर माह के 10 तारिख तक पूर्ण कर लिया गया था। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि गंग नहर कैनाल की कांवड़ पटरी मार्ग पर सडक मार्ग के दायीं साईड स्थित नहर के किनारें बनी पैरापिट से कांवड़ पटरी मार्ग के बांये किनारें की तरफ से 10 मीटर चौड़ाई में आने वाले पेड़ों का सत्यापन किया गया है। कृपया दोनों विभागों द्वारा किये गये सत्यापन के अनुसार निम्न रीच में वृक्षों का विवरण मूल्यांकन हेतु उप वन संरक्षक हरिद्वार को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि वृक्षों के पातन पर अग्रिम कार्यवाही हो सके।

क0सं0	कंहा से कंहा तक	गंग नहर चैनेज किमी0 में
1	जटवाड़ा पुल से जल विज्ञान केन्द्र तक	6.260 से 12.820 तक
2	धनौरी से रूड़की तक	19.300 से 29.600 तक
3	गणेशपुर पुल से मंगलौर पुल तक	32.120 से 39.91 तक
4	मंगलौर पुल से उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक	39.91 से 51.910 तक

यहां यह भी अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सम्भावित तिथि 11.10.2019 को कांवड़ पटरी मार्ग का चौड़ीकरण एंव सुदृढ़ीकरण योजना का उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है। जिस कारण प्रकरण को गम्भीरता से लेकर शीघ्र पेड़ों का विवरण उपरोक्तानुसार उप वन संरक्षक हरिद्वार को भेजने का कष्ट करें।

01/10/19

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, रूड़की

पत्रांकः– सिं0ख0रू0/कांवड़ पटरी/तदिनांकः–

प्रतिलिपि– उप वन सरंक्षक को उनके पत्र के कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार
पत्रांक 2734
पत्रावली 1-1
दिनाक 14-10-19

RC
उपधा 09/10/19

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, रूड़की

संलग्न – 4

(12)

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी की रेंज, रूड़की।

891

पत्रांक यू 336 / 8-1 15/10/2019।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

द्वारा:– उप प्रभागीय वनाधिकारी रूड़की।

विषय– **गंगनहर कांवड पटरी मार्ग के चौडीकरण में आने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में।.**

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक 797/2–3 दिनांक 21.08.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम मे राजि के अन्तर्गत रूडकी एवं मंगलौर अनुभाग के अन्तर्गत गंगनहर कांवड पटरी मार्ग के चौडीकरण मे आने वाले बाधक वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार है।

क0सं0	मार्ग का नाम	वृक्षों की संख्या	प्रजाति	अभियुक्ति
01	सामान्तर गंगनहर कि0मी0 20 से कि0मी0 21 की बांई पटरी	04	जंगल जलेबी	रूडकी अनुभाग के अन्तर्गत धनौरी बीट मे
02	सामान्तर गंगनहर कि0मी0 21 से कि0मी0 22 की बांई पटरी	13	मिश्रित	
03	सामान्तर गंगनहर कि0मी0 23 से कि0मी0 24 की बांई पटरी	05	मिश्रित	
04	सामान्तर गंगनहर कि0मी0 24 से कि0मी0 25 की बांई पटरी	17	मिश्रित	
05	बाजूहेडी से सोनाली पुल तक बांई पटरी	04	मिश्रित	
06	मुख्य गंगनहर मील 21 से मील 22 की बांई पटरी	100	मिश्रित	रूडकी अनुभाग के अन्तर्गत रूडकी बीट मे
07	मुख्य गंगनहर मील 22 की बांई पटरी	48	मिश्रित	
08	मुख्य गंगनहर मील 23 की बांई पटरी	36	मिश्रित	मंगलौर अनुभाग के अन्तर्गत नारसन प्रथम बीट मे
09	मुख्य गंगनहर मील 24 की बांई पटरी	44	मिश्रित	
10	मुख्य गंगनहर मील 26 की बांई पटरी	262	मिश्रित	
11	मुख्य गंगनहर मील 27 की बांई पटरी	274	मिश्रित	
12	मुख्य गंगनहर मील 28 की बांई पटरी	24	मिश्रित	
	योग	831		

उक्त के अतिरिक्त सामांतर गंगनहर की बांई पटरी में वर्ष 2014–15 का वनीकरण है, जिसमें विभिन्न प्रजाति के 179 वृक्ष 0–1 व्यास वर्ग के बाधक है। अतः रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा मे प्रेषित है।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी रूड़की
पत्रांक 219 / 08 दिनांक 16/10/2019

मूल में उप वनसंरक्षक हरिद्वार को आ०का० हेतु प्रेषित।

(Stamp: उप प्रभागीय वनाधिकारी रूड़की — पत्रांक सं0 530, पत्रावली 2-3, दिनांक 16/10/19)

R.C
आ०वा०चरे

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रूड़की
जिला–हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

उपयुक्त
16/10/19

भवदीय

(मयंक कुमार)
वन क्षेत्राधिकारी
रूड़की रेंज।

काय   न क्षेत्राधिकारी हरिद्वार रेंज, संलग्न-5
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

13

पत्रांक 338/2-3 दिनांक हरिद्वार रेंज, 18 अक्टूबर 2019

सेवा में

उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग
हरिद्वार.

द्वारा– उप प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार उप प्रभाग हरिद्वार

विषय– नहर पटरी चौडीकरण में बाधक वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण

महोदय,

निवेदन करना है कि हरिद्वार रेंज अन्तर्गत पुल जटवाडा से बहादराबाद बी.एच.ई.एल. मार्ग तक समानान्तर गंग नहर पटरी के चौडीकरण में बाधक वृक्षों का वन विभाग की ओर से श्री ओ0पी0सिंह वन दरोगा एंव सिंचाई विभाग से श्री कमल किशोर सिंह अपर सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूडकी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया।संयुक्त निरीक्षण में नहर पटरी चौडीकरण में निम्नानुसार बाधक वृक्ष पाये गये।उक्त वृक्षो पर वन विभाग का स्वामीत्व है।

क.सं.	प्रजाति	व्यास वर्ग	संख्या
1	अमलतास	1–2	16
		2–3	18
		3–4	03
		4–5	01
		योग	38
2	शीशम	0–1	16
		1–2	16
		2–3	01
		4–5	02
		योग	35
3	खैर	0–1	05
		1–2	06
		योग	11
4	सागौन	2–3	01
		3–4	01
		4–5	01
		योग	03
5	एलैन्थस	2–3	01
		3–4	01
		4–5	01
		योग	03
6	बेर	1–2	02
		कुल योग	92 वृक्ष

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्नकर आख्या महोदय की सेवा में सूचनार्थ एंव इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया अग्रिम आदेश प्रदान करने की करें।

प्रभागीय वनाधि... 585 2-3 18-10-19

वन क्षेत्राधिकारी
हरिद्वार रेंज

संलग्न-6

(14)

893

कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष / फैक्स 01334 226271 email : dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्रांक / 9-2 हरिद्वार, दिनांक 21-10-2019

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
देहरादून

विषय - महाकुम्भ मेला 2021 के आयोजन की दृष्टि से जनपद हरिद्वार में जटवाडा पुल से उत्तराखण्ड राज्य सीमा तक गंगनहर कांवड पटरी मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूडकी का पत्रांक 1056/सि0ख0रू0/कुम्भ मेला-2021, दिनांक 10.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि महाकुम्भ मेला 2021 के आयोजन की दृष्टि से जनपद हरिद्वार में जटवाडा पुल से मोहम्मदपुर पावर हाऊस (उत्तराखण्ड राज्य सीमा) तक गंगनहर पटरी मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसे महाकुम्भ मेला 2021 से पूर्व निर्धारित समय पर पूरा किया जाना राज्य की प्राथमिकता है। गंगा नहर के आस-पास की समस्त भूमि सिंचाई विभाग की है। गंगनहर कांवड पटरी पर पूर्व में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया है, जिससे प्रस्तावित मार्ग के सुदृढीकरण एवं चौडीकरण निर्माण कार्य बाधित हो रहा है।

इस सम्बन्ध में इस वन प्रभाग के कार्ययोजना के पैरा सं0 11.8.7.9 (संलग्न) के क्रम सं0-4 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि **"ऐसी वृक्षावली जिन्हें पटरी चौड़ी करने या ऐसे अन्य प्रायोजनों के लिए कटवाना आवश्यक हो और जिनके पातन की मांग सम्बन्धित विभाग द्वारा लिखित रूप से की गई हो, की अनुमति संरक्षित वन घोषित के मामलें में भारत सरकार द्वारा नियमानुसार दी जायेगी"**

जनपद हरिद्वार में जटवाडा पुल से मोहम्मदपुर पावर हाऊस (उत्तराखण्ड राज्य सीमा) तक गंगनहर पटरी मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण में आने वाले बाधक वृक्षों की संयुक्त जॉच, सिंचाई विभाग के समन्वय से सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारियो से कराई गई, उक्त कार्य मे आने वाले बाधक वृक्षों का विरतृत विवरण संलग्न कर, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग,हरिद्वार

पत्रांक : 1805 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को संलग्नकों सहित।
2. कुम्भ मेलाधिकारी, हरिद्वार।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूड़की।
संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग,हरिद्वार

21/10/19
D/All local le...

संलग्न-7

15

Phone & Fax no. 0135-2658294

E-mail: cfshiwalik@yahoo.co.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 743 /26-11 दिनांकः- 31 अक्टूबर, 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
हरिद्वार वन प्रभाग,
हरिद्वार।

विषयः- महाकुम्भ मेला 2021 के संबंध सिंचाई विभाग द्वारा मार्ग चौड़ीकरण व सुदृढीकरण किये जाने के संबंध में बैठक।

महोदय,

महाकुम्भ मेला 2021 के आयोजन की दृष्टि से जनपद हरिद्वार में जटवाड़ा पुल से उत्तराखण्ड राज्य सीमा तक़ गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण सिंचाई विभाग द्वारा किये जाने के संबंध में सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 02.11.2019 के पूर्वान्ह् 11:00 बजे बैठक आयोजित की जाती है।

अतः आप उक्त कार्य से संबंधित समस्त सूचनाओं व पत्रावली सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक : 743 /26-11 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकरण से संबंधित बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(पी0के0 पात्रो)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

संलग्न-8

16

ज दिनांक 08.011.2019 को वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त की अध्यक्षता में महाकुम्भ 2021 के अन्तर्गत जनपद द्वार के जटवाड़ा पुल से मोहम्दपुर पावर हाऊस गंग नहर पटरी मार्ग चौड़ीकरण में आ रहे वृक्षों के संबंध में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त के कार्यालय कक्ष देहरादून में किया गया। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1- श्री पी0के0पात्रों, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त।
2- श्री ए0एस0 बिष्ट, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, रूड़की।
3- श्री एस0बी0 वर्मा, सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड, रूड़की।
4- श्री रंगनाथ पाण्डे, उप प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार।

बैठक में निम्न प्रकार निर्णय लिया गया।

हरिद्वार वन प्रभाग की कार्ययोजना में वर्णित अध्याय वन भू-खण्ड विवरण में वर्णित शासनादेश सं0-4041/ XVI, दिनांक 15.10.1954 द्वारा संलग्न सारणी 1.11 में उपरी गंग नहर की भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया था। कालान्तर में भारत सरकार के फाइल नम्बर 8-89/85 एफ0सी0, दिनांक 07.05.1986 से विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत उपरी गंगा सिंचाई आधुनीकीकरण परियोजना के तहत् समानान्तर उपरी गंगा नहर के निर्माण के लिए 131.00 है0 भूमि वनेन्तर उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की गई। इस प्रकार कार्ययोजना के अनुसार शेष 61.77 है0 भूमि संरक्षित वन रह जाती है। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में उपरी गंग नहर की कुल लम्बाई 52.00 कि0मी0 है। नहर पटरी की सर्विस रोड़/कांवड़ मार्ग की चौड़ाई 7.00 मी0 है। कावड़ मार्ग / सर्विस रोड़ को छोड़ते हुए सिंचाई विभाग की नापी पटरी पर उपलब्ध भूमि की चौड़ाई लगभग 45.0 मी0 है। इस प्रकार कुल उपलब्ध क्षेत्रफल एक तरफ लगभग 234.00 है0 है। इसी प्रकार दाहिनी पटरी पर भी लगभग 234.00 है0 भूमि सिंचाई विभाग की उपलब्ध है। उपरोक्त भूमि में से कुल 61.77 भूमि ही संरक्षित वन शेष रह जाती है।

वर्तमान में सिंचाई विभाग द्वारा महाकुम्भ 2021 की तैयारी हेतु इस सर्विस/कावड़ रोड़ को 7.00 मी0 चौड़ाई से 10.00 मी0 किये जाने का प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार को अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रूड़की के पत्रांक-1056/सि0ख0रू0/कुम्भ मेला 2021, दिनांक 10.08.2019 को प्राप्त हुआ। अतिरिक्त 03 मी0 भूमि में विभिन्न ब्यास वर्ग के यूकेलिप्टस, सीरस, खैर, नीम, अमलतास आदि के वृक्ष विद्यमान है। पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार के द्वारा अपने पत्रांक-3352/23-5 हरिद्वार, दिनांक 23.01.2019 द्वारा अधिशासी अभियन्ता उत्तरी खण्ड गंग नहर रूड़की को इसी प्रकार के प्रकरण में 151 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति दी गयी है।

अत: उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह प्रतीत होता है कि संरक्षित क्षेत्र 61.77 है0 के अतिरिक्त भी सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 234.0 है0 भूमि एक तरफ अवशेष रहती है। यह भी विचारणीय है कि समस्त भूमि पर स्वामित्व सिंचाई विभाग का है। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-4041/XVI/, दिनांक 15.10.1954 के अन्तर्गत कुल 192.77 है0 भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया था। घोषित संरक्षित वन का कोई सीमांकन घोषित नहीं किया गया है। इससे सिंचाई विभाग के स्वामित्व में उपलब्ध एक पटरी पर 234.00 है0 भूमि में से कौन सी भूमि 61.77 है0 संरक्षित वन है स्पष्ट नहीं है। पटरी वृक्षारोपण के संबंध में हरिद्वार वन प्रभाग की चालू कार्ययोजना में पटरी वृक्षारोपण के निस्तारण के संबंध में पातन विधि के अन्तर्गत क्रमांक सं0-4 पर यह वर्णित है कि ऐसी वृक्षावली जिन्हें पटरी चौड़ी करने या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये कटवाना आवश्यक हो और जिनके पातन की मांग संबंधित विभाग द्वारा लिखित रूप से की गयी हो की अनुमति संरक्षित वन घोषित के मामले में भारत

क्रमश....2

17

(2)

सरकार द्वारा नियमानुसार दी जायेगी, जबकि कार्ययोजना वर्ष 2002–2003 से 2011–12 तक के अन्तर्गत पटरी वृक्षारोपण के निस्तारण हेतु पातन विधि के अन्तर्गत वृक्षों के पातन के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि वे वृक्ष जिन्हें पटरी चौड़ी करने या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए कटवाना आवश्यक हो और जिनके पातन की मांग, संबंधित विभाग द्वारा, लिखित रूप से की गयी हो, का पातन किया जायेगा।

व्यापक जनहित एवं महाकुम्भ 2021 को ध्यान में रखते हुये यह उचित होगा कि सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली बाई पटरी के 234.00 है0 भूमि से 61.77 है0 संरक्षित वन को छोड़ते हुये शेष भूमि में से पूर्व निर्मित अपर गंग नहर पटरी के लगे हुये रोड़ चौड़ीकरण हेतु आवश्यक 3.00 मी0 भूमि में खड़ें पेड़ों का निस्तारण पूर्व की भांति कर दिया जाय एवं इनमें से जो वृक्ष प्रत्यारोपण योग्य हो उसे सिंचाई विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार की तकनीकी सहायता से प्रत्यारोपण की कार्यवाही की जाये एवं शेष पातित वृक्षों के बदले दो गुने वृक्षों का रोपण आगामी वर्षाकाल में सिंचाई विभाग के व्यय पर कर लिया जाये। प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(पी0के0 पात्रों)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक :- 808 / 26-11 तद्दिनांकित। दिनांक :- 08·11·2019

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1– मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2– आयुक्त गढ़वाल उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3– मेला अधिकारी कुम्भ मेला, हरिद्वार।
4– जिला अधिकारी, हरिद्वार।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार।
6– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार।

(पी0के0 पात्रों)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संलग्न–1

18

897

कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष फैक्स 01334 226271 email dfo haridwar@rediffmail.com

पत्रांक 2357/2-3 हरिद्वार, दिनांक, 28-11- 2019

सेवा में

प्रभागीय लौगिग प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
हरिद्वार

विषय लौट आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि महाकुम्भ मेला 2021 के आयोजन की दृष्टि से हरिद्वार जनपद के जटवाड़ा पुल से उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक गंग नहर कावड़ पटरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किया जाना है। उक्त कार्य मे बाधक वृक्षों के पातन हेतु सम्बन्धित वृक्षों का छपान कर, छपान सूची निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित है –

क्र.सं.	रेंज का नाम	लौट संख्या	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	वृक्षों की संख्या	छपान सूची के अनुसार आयतन घ0मी0 मे
1	रूड़की	76/19-20	समान्तर गंग नहर कि0मी0 19.30 से कि0मी0 25.0 तक बायी पटरी	मिश्रित	43	8.2463
		77/19-20	मुख्य गंग नहर कि0मी0 21.0 से कि0मी0 22.0 तक बायी पटरी	मिश्रित	75	24.4492
		78/19-20	मुख्य गंग नहर मील 23.0 से मील 32.0 तक बायी पटरी	मिश्रित	161	102.3183
			योग रूड़की रेंज		**279**	**135.0138**
2	हरिद्वार	79/19-20	समान्तर गंग नहर, पुल जटवाड़ा से बहादराबाद बी0एच0ई0एल0 मार्ग तक,	मिश्रित	92	17.9120
			कुल योग		**371**	**152.9258**

उक्त वृक्ष रूड़की एवं हरिद्वार रेंज के अन्तर्गत है, जिनका पातन 15.02.2020 तक किया जाना आवश्यक होगा। नियत तिथि के पश्चात् अवधि विस्तार हेतु वन निगम द्वारा वन संरक्षक शिवालिक वृत्त देहरादून से अनुमति लेनी होगी। अतः निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत शिवालिक वृत्त देहरादून के विक्रय नियम एव कार्ययोजना मे निहित प्राविधानो के अन्तर्गत कार्य करना होगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

पत्रांक :2357/(1) तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित उक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड़ देहरादून।
2. कुम्भ मेलाधिकारी, हरिद्वार।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक (गढ़वाल क्षेत्र), उत्तराखण्ड वन विकास निगम कोटद्वार।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी, रूडकी।
6. उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार / रूडकी।
7. वन क्षेत्राधिकारी, रूड़की एवं हरिद्वार।

प्रभागीय वनाधिकारी
हरिद्वार वन प्रभाग,
हरिद्वार

D/All local leter

संलग्न-10

19

कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

दूरभाष फैक्स 01334 226271 email dfo hardwar@rediffmail.com

पत्रांक 2358/2-3, हरिद्वार, दिनांक, 20-11- 2019

सेवा मे,

प्रभागीय लौगिग प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
हरिद्वार

विषय : लॉट आवटन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

अवगत कराना है कि महाकुम्भ मेला 2021 के आयोजन की दृष्टि से हरिद्वार जनपद के जटवाडा पुल से उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक गंग नहर कावड पटरी मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण किया जाना है। उक्त कार्य मे बाधक वृक्षो के पातन हेतु सम्बन्धित वृक्षों का छपान कर, छपान सूची निम्नानुसार सलग्न कर प्रेषित है :–

क्र.स	रेंज का नाम	लॉट सख्या	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग, डे०सी० मी० मे	वृक्षो की संख्या	छपान सूची के अनुसार आयतन घ०मी० में
1	रूडकी	74/19-20	मुख्य गंग नहर मील 23.0 से मील 32.0 तक बायी पटरी	यूकेलिप्टस	10-15	01	539.76
					15-20	37	
					20-25	50	
					25-30	107	
					30-35	51	
					35-40	78	
					40-45	30	
					45-50	58	
					50-55	19	
					55-60	19	
					60-65	05	
					65-70	10	
					70-75	01	
					75-80	7	
					-80-85	2	
					85-90	2	
					90-95	2	
					योग	479	
2	रूडकी	75/19-20	मुख्य गंग नहर मील 21.0 से मील 22.0 तक बायी पटरी	यूकेलिप्टस	10-15	01	167.026
					15-20	01	
					20-25	6	
					30-35	8	
					35-40	5	
					40-45	6	
					45-50	6	

20

2	रूड़की	75/19-20	मुख्य गंग नहर कीमी 210 से कीमी 220 तक दायी पटरी	यूकेलिप्टस	50-55	7	
					55-60	9	
					60-65	10	
					65-70	5	
					70-75	4	
					75-80	3	
					80-85	1	
					90-95	01	
					योग	73	
			कुल योग		कुल योग	552	706.786

उक्त वृक्ष रूडकी रेंज के अन्तर्गत हैं, जिनका पातन 15.02.2020 तक किया जाना आवश्यक होगा। नियत तिथि के पश्चात् अवधि विस्तार हेतु वन निगम द्वारा वन संरक्षक शिवालिक वृत्त देहरादून से अनुमति लेनी होगी। अतः निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत शिवालिक वृत्त देहरादून के विक्रय नियम एवं कार्ययोजना मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्य करना होगा।

सलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

पत्रांक : 2358/(1) तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित उक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. कुम्भ मेलाधिकारी, हरिद्वार।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक (गढ़वाल क्षेत्र), उत्तराखण्ड वन विकास निगम कोटद्वार।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूडकी, रूडकी।
6. उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूड़की।
7. वन क्षेत्राधिकारी, रूड़की ।

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

संलग्न-11

21

कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष / फैक्स 01334 226271 email : dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्रांक 2531 /2-3 हरिद्वार, दिनांक 5-12 2019

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, सिंचाई परिकल्प,
भवन परिसर, रूडकी

विषय – गंग नहर कावड पटरी मार्ग के चौडीकरण मे आने वाले पेडो के सत्यापन के सम्बन्ध मे।
सदर्भ – आपका पत्रांक 1056 सि0ख0रू0 / कुम्भ मेला 2021, दिनांक 10.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा आपने कुम्भ मेला 2021 के आयोजन की दृष्टि से जनपद हरिद्वार मे जटवाडापुल से मोहम्मदपुर पावर हाऊस (उत्तराखण्ड राज्य सीमा) तक गंगनहर पटरी मार्ग के चौडीकरण एव सुदृढीकरण कार्य मे बाधक वृक्षो के पातन हेतु अनुरोध किया था। विभागीय जॉच द्वारा उक्त कार्य में 1102 वृक्षों को बाधक पाया गया, जिसके सम्बन्ध में उच्च स्तर को भी सूचित किया गया। इस सम्बन्ध में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 08.11.2019 को आहुत बैठक, जिसमें आपके विभाग के प्रतिनिधि द्वारा भी प्रतिभाग किया गया था, में निर्णय लिया गया था कि पातित वृक्षों के बदले दो गुने वृक्षों का रोपण आगामी वर्षाकाल में सिंचाई विभाग के व्यय पर कर लिया जाये।

वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून के पत्रांक 808 / 26–11, दिनांक 08.11.2019 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 2357 / 2–3, दिनांक 28.11.2019 द्वारा मिश्रित प्रजाति के 371 वृक्षों तथा पत्रांक 2358 / 2–3, दिनांक 28.11.2019 द्वारा यूकेलिप्टिस के 552 वृक्षों (कुल 923 वृक्षों की) की लौट तैयार कर उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हरिद्वार को पातन हेतु प्रेषित कर दी गई। शेष 179 बाधक वृक्ष, जो 0–1 व्यास वर्ग के होने से प्रकाष्ठ की अनुपलब्धता होने के कारण, उनका निस्तारण विभागीय स्तर पर ही किया गया है। इस प्रकार कुल 1102 बाधक वृक्षों का निस्तारण किया जा रहा है।

वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून के पत्रांक 808 / 26–11, दिनांक 08.11.2019 में दिये गये निर्देशानुसार कुल 1102 बाधक वृक्षों के स्थान पर 2204 पौधों का आगामी वर्षाकाल में रोपण किया जाना आवश्यक है। उक्त 2204 पौधों के रोपण पर होने वाला व्यय आपके विभाग से ही लिया जाना है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त 2204 पौधों के रोपण पर होने वाला व्यय, अनुमानित धनराशि रू0 50.38 लाख को इस वन प्रभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि आगामी वर्षाकाल में उक्त पौधों के रोपण हेतु अभी से तैयारी की जा सके।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

पत्रांक : 2531 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

D/All local leter

P.T.

901 पत्रांक-509 सबजन- (22)

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी रूड़की रेंज,रूड़की।

पत्रांक 509 / 23 दिनांक रुडकी 26/2/2020

उप वन संरक्षक,

हरिद्वार वन प्रभाग,हरिद्वार।

विषयः— **संमातर गंगनहर की बांई पटरी पर विद्युत लाईन के शिफ्टिंग मे आने वाले वृक्षों की शाख तरासी के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम मे अवगत कराना है कि गंगनहर की बांई पटरी पर स्थित उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन द्वारा कुम्भ मेला 2021 के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 की विद्युत लाईन के शिफिटंग का कार्य किया जाना है। जो कि कुम्भ मेले मे नहर पटरी के चौडीकरण हेतु होने वाले कार्यो का एक भाग है। पूर्व मे भी नहर पटरी के चौडीकरण हेतु 1010 वृक्षों को काटे गये थे। उक्त पटरी पर विभिन्न मिश्रित प्रजाति के वृक्षों की शाख तरासी का कार्य होना है तथा कुछ वृक्षों की छत्र काटे जाने है। वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार है।

छत्र काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

क0सं0	प्रजाति	व्यास वर्ग	सं0	मूल्य प्रति वृक्ष	धनराशि	अभियुक्ति
1	सिरसी	1-2	02	1716.00	3432.00	इन वृक्षों के पूर्ण छत्रों से विद्युत लाईन होकर गुजरेगी। जिसकी पुष्टि विद्युत विभाग द्वारा भी की गई है। परन्तु हार्ड लौंपिग (छत्र को अधिक काटना) से वृक्षों के पूर्ण रूप से अनुपयोगी होने की संभावना है।
		2-3	05	3903.00	19515.00	
		3-4	12	7470.00	89640.00	
2	आम	3-4	03	3320.00	9960.00	
3	खैर	1-2	01	2535.00	2535.00	
		2-3	03	3871.00	11613.00	
		3-4	03	9032.00	27096.00	
4	शीशम	1-2	02	315.00	630.00	
		2-3	05	3608.00	18040.00	
		3-4	01	10470.00	10470.00	
		4-5	01	20900.00	20900.00	
5	बबूल	1-2	01	384.00	384.00	
		2-3	01	1271.00	1271.00	
		3-4	03	2674.00	8022.00	
6	बेल	1-2	01	90.00	90.00	
7	सागौन	1-2	01	490.00	490.00	
		2-3	03	1571.00	4713.00	
		3-4	03	5872.00	17616.00	
		4-5	02	12911.00	25822.00	
8	नीम	2-3	01	825.00	825.00	
		4-5	01	4681.00	4681.00	
9	सिरस	1-2	02	1716.00	3432.00	
		2-3	01	3903.00	3903.00	
		3-4	06	7470.00	44820.00	
		4-5	01	12390.00	12390.00	
		5-6	01	18770.00	18770.00	
10	सेमल	1-2	01	734.00	734.00	
		2-3	02	1526.00	3052.00	

(23)

	3-4	02	2603.00	5206.00	
योग		71		370052.00	

लौपिंग किये जाने वाले वृक्षों का विवरण

क्र0सं0	प्रजाति	व्यास वर्ग	सं0	मूल्य प्रति वृक्ष	धनराशि	अभियुक्ति
1	सिरस	2-3	3	300.00	900.00	इन वृक्षों की हल्की लौपिंग की जानी है। जिस मे नुकसान की संभावना कम है। परन्तु इस मौसम मे की गई लौपिंग से वृक्षों के सूखने की संभावना है।
		3-4	3	300.00	900.00	
		4-5	1	300.00	300.00	
2	सागौन	2-3	5	300.00	1500.00	
		3-4	4	300.00	1200.00	
3	शीशम	1-2	7	300.00	2100.00	
		3-4	2	300.00	600.00	
4	बबूल	3-4	8	300.00	2400.00	
	सेमल	3-4	4	300.00	1200.00	
	योग		37		11100	

महोदय कुल 108 वृक्षों की हार्ड/सॉफ्ट लौपिंग की जानी है। वृक्षों की हार्ड/सॉफ्ट लौपिंग होने से वृक्षों के सूखने की भी संभावना है। उक्त नुकसान की भरपाई के लिए उपयुक्त स्थान पर इन वृक्षों के दोगने के बराबर 216 वृक्षों का रोपण किया जाना उचित होगा। जिससे लिए आवश्यक धनराशि पूर्ण विवरण सहित संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मयंक कुमार)

वन क्षेत्राधिकारी

रूड़की रेंज।

पत्रांक- 1558 संलग्न

(24)

कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष / फैक्स 01334 226271 email : dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्रांक : 1558 / 2-3 हरिद्वार, दिनांक, 7-10- 2020

वा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, सिंचाई परिक्ल्प,
भवन परिसर, रूड़की

विषय:– गंग नहर कांबड़ पटरी मार्ग के चौड़ीकरण में आने वाले पेड़ों के सत्यापन के सम्बन्ध में।
संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्रांक 2531 / 2–3, दिनांक 05.12.2019 एवं पत्रांक 5009 / 2–3, दिनांक 04.05. 2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा कुम्भ मेला 2021 के आयोजन की दृष्टि से जनपद हरिद्वार में जटवाड़ा पुल से मोहम्मदपुर पावर हाऊस (उत्तराखण्ड राज्य सीमा) तक गंगनहर पटरी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में 1102 बाधक वृक्षों के स्थान पर 2204 पौधों को वर्षाकाल 2020 में रोपण किये जाने हेतु आपसे अनुमानित धनराशि रू0 50.38 लाख की मॉग की गई थी, किन्तु आपके स्पर से आतिथि तक भी वांछित धनराशि इस कार्यालय को उपलब्ध नही कराई गई है। बजट अभाव के कारण वर्षाकाल 2020 में भी प्रस्तावित पौधारोपण का कार्य नही किया जा सका, जो नियमानुसार उचित नही है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त 2204 पौधों के रोपण पर होने वाला व्यय, अनुमानित धनराशि रू0 50.38 लाख को इस वन प्रभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि वर्षाकाल 2021 में उक्त 2204 पौधों के रोपण हेतु पूर्ण तैयारी अभी से की जा सके।

भवदीय

(नीरज कुमार)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग,हरिद्वार

पत्रांक : 1558 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(नीरज कुमार)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग,हरिद्वार

सोहाउने पत्रांक- 4958

कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष/फैक्स 01334 226271 email : dfo_hardwar@rediffmail.com

25

पत्रांक : 4958 / 2-3 हरिद्वार, दिनांक, 9/3/ 2021

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, सिंचाई परिकल्प,
भवन परिसर, रूड़की

विषयः– गंग नहर कांवड़ पटरी मार्ग के चौड़ीकरण में आने वाले पेड़ों के सत्यापन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्रांक 1558/2–3, दिनांक 07.10.2020 पत्रांक 2531/2–3, दिनांक 05.12.2019 एवं पत्रांक 5009/2–3, दिनांक 04.05.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा कुम्भ मेला 2021 के आयोजन की दृष्टि से जनपद हरिद्वार में जटवाड़ा पुल से मोहम्मदपुर पावर हाऊस (उत्तराखण्ड राज्य सीमा) तक गंगनहर पटरी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में 1102 बाधक वृक्षों के स्थान पर 2204 पौधों को वर्षाकाल 2020 में रोपण किये जाने हेतु आपसे अनुमानित धनराशि रू0 50.38 लाख की मॉग की गई थी, किन्तु आपके स्पर से आतिथि तक भी वांछित धनराशि इस कार्यालय को उपलब्ध नही कराई गई है। अत्यन्त ही खेद का विषय है कि उक्त के क्रम में आपको बार–बार स्मरण कराने के उपरान्त भी आपके स्तर से वांछित धनराशि इस कार्यालय को उपलब्ध नही कराई जा रही है। बजट अभाव के कारण वर्षाकाल 2020 में भी प्रस्तावित पौधारोपण का कार्य नही किया जा सका, जो नियमानुसार उचित नही है। आप अवगत है कि वर्षाकाल 2021 समीप ही है, जिसमें प्रस्तावित 2204 पौधों का रोपण उचित स्थलों पर किया जा सकता है। जिस हेतु आवश्यक होगा कि उक्त वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाये ताकि उक्त 2204 पौधों के रोपण हेतु पूर्ण तैयारी अभी से प्रारम्भ की जा सके।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त 2204 पौधों के रोपण पर होने वाला व्यय, अनुमानित धनराशि रू0 50.38 लाख को इस वन प्रभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि वर्षाकाल 2021 में उक्त 2204 पौधों के रोपण हेतु पूर्ण तैयारी अभी से की जा सके।

भवदीय

(नीरज कुमार)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग,हरिद्वार

पत्रांक : 4958 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कुम्भ मेला 2021 के आयोजन की दृष्टि से जनपद हरिद्वार में जटवाड़ा पुल से मोहम्मदपुर पावर हाऊस (उत्तराखण्ड राज्य सीमा) तक गंगनहर पटरी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में 1102 बाधक वृक्षों के स्थान पर 2204 पौधों को वर्षाकाल 2021 में रोपण किये जाने के लिए अनुमानित धनराशि रू0 50.38 लाख हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार को उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई विभाग, रूड़की को निर्देशित करने का कष्ट करे।

(नीरज कुमार)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग,हरिद्वार

D/All local leter

(26)

कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष / फैक्स 01334 226271 email : dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्रांक : 110 /2–3 हरिद्वार, दिनांक 06 जुलाई 2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–238/2024 (अपर गंगा कैनाल क्षेत्र में 112000 वृक्षों के पातन) के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ : **आपका द्वारा Whatsapp के माध्यम से प्राप्त संदेश के क्रम में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा Whatsapp के माध्यम से चाही गई बिन्दुवार सूचना सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न प्रकार प्रेषित है :–

1. इस वन प्रभाग के अन्तर्गत वर्तमान में गंग नहर कांवड़ पटरी मार्ग में कोई नया प्रस्ताव प्रस्तावित/संचालित नहीं है।
2. इस वन प्रभाग द्वारा गंग नहर कांवड पटरी मार्ग में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है एवं किसी भी नये वृक्ष का पातन नहीं किया गया है।
3. गंग नहर कांवड पटरी मार्ग के चौडीकरण का कार्य तत्समय हरिद्वार से दिल्ली की ओर जाने पर नहर पटरी के बांयी ओर किया गया है।

महोदय, प्रकरण में इससे पूर्व भी इस कार्यालय के पत्रांक 6220/2–3, दिनांक 16.05.2024 से भी मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 के क्रम में विस्तृत आख्या प्रेषित की जा चुकी है।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

पत्रांक : 110 /2–3 , तददिनांकित।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार